25

न्यायालय श्रीमान राजस्वमंडल महोदय सागर संभाग सागर

निगरानी–5489/2018/दमोह/भू.रा.

1– श्रीमति उर्मिला पत्नि नारायण मिश्रा,

2– श्रीमति नीलम पिता नारायण मिश्रा

सकिन– जगदीश टॉकीज के पास, दीवानजी तलैया के सामने, तहसील व जिला दमोह म0 प्र0, ...आवेदकगण

वनाम

1– संजीव उज्जैनकर वल्द प्रभाकर राव उज्जैनकर, निबासी मोहन टॉकीज के पास दमोह, जिला दमोह म0प्र0 ,

2– राजस्व निरीक्षक , मंडल दमोह क0 02, जिला दमोह म0 प्र0

.............अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी **रा0 नि0 मंडल दमोह क0 02, तहसील दमोह, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 26/अ12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25/06/2018** एवं संपूर्ण सीमांकन प्रकिया से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 01 द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष एक आवेदनपत्र दमोह खास, स्थित भूमि खसरा नंबर 1492/1/1 रकवा 0.002 , 1492/3 रकवा 0.004, 1492/3 रकवा 0.002, 1492/4 रकवा 0.006, कुल रकवा 0.014 है0 के सीमांकन वावद एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर रिस्पॉ0 क0 02 द्वारा उपरोक्त प्र0 क0 पंजीवद्ब करके कब्जेदारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचनापत्र जारी किये बिना ही दिनांक 20/06/2018 को सीमांकन कागजी रूप में दिखाकर दिनांक 25/06/2018 को स्वीकृत

श्री संजीव उज्जैनकर की ओर. द्वारा कार्य सागर में प्रस्तुत 16-8-18

14/09/18 16/08/18

(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5489/2018/दमोह/भू.रा.

उर्मिला विरूद्ध संजीव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह के प्रकरण क्रमांक 26/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3.1.2019 (आर.के. जैन) सदस्य	